10/2019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , नोखा (बीकानेर)

मीरा पुत्री भेरा राम जाति जाट सिराण सा. कहिरा, तहसील नोखा

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार नोखा

[प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955]

==========

--:: निर्णय ::--

1. प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम काहिरा के खेत खसरा सं. 1078, तादादी 5.80 हेक्टेयर खातेदारी भूमि की काश्तकारी रिहायश जोत पर गत सेटलमेंट रिकॉर्ड अनुसार कोई कटाणी रास्ता नहीं होने के बावजूद नये सेटलमेंट के अधिकारियों द्वारा बिना सुनवाई कर नक्शे में डोटेड लाईन से रास्ता अंकित कर उक्त अनाधिक़ृत एंट्री को निरस्त करवाने की मांग करने व अप्रार्थी के कारिन्दे हल्का पटवारी द्वारा इस डोटेड रास्ते के अनुसार रास्ता निर्माण करने के बेदखली करने के बयान के विरूद्ध अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेद्याज्ञा प्राप्त करने की इस्तदुआ की ।

2. प्रार्थिया के द्वारा प्रार्थना पत्र में कोई ठोस कारण अंकित नहीं करने व नवीन नक्शा पेश नहीं करने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जिस पर अप्रार्थिया द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के यहाँ अपील की । माननीय रा.अ.प्रा. ने अपीलाण्ट की वादगत खातेदारी भूमि के बारे में प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति पर बगैर विवेचन किये स्थगन प्रार्थना पत्र को निस्तारण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश को पुन: सुनवाई का अवसर देते हुए रिमाण्ड किया व इन बिन्दुओं पर पुनः निर्णय होने तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश दिये ।

3. अप्रार्थी तहसीलदार नोखा ने मूल दावे में अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम काहिरा के खसरा सं. 1104 के दक्षिणी पूर्वी कोने से होकर खसरा सं. 1078 के बीचों-बीच भू प्रबन्ध का डोटेड रास्ता नक्शे में अंकित है जो मौके पर चालू है व जिस पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत डामर सड़क निर्माणाधीन है । राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 द्वारा राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 59, 60, 61 के तहत सर्वे करवाकर सार्वजनिक चालू रास्तों को अभिलेख में दर्ज कराने के निर्देश है । केवल खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने से खसरा नम्बर 1078 की खातेदार को चालू रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है । इस डोटेड रास्ते पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अर्थ वर्क, रोड़ी कुट्टी आदि कार्य किया जा चुका है जिसे रोका जाना या स्थान परिवर्तन करना जनहित व सरकार के हित में नहीं होगा ।

उपखण्ड अधिकारी
नोखा

Scanned by CamScanner

4. हमने रिकॉर्ड का अवलोकन किया । नक्शा अलामात देखे । अधो-उत्कीर्णित राजस्व रिकॉर्ड
नक्शे में खसरा सं. 1104, 1078, 1354/1065, 1355/1065, 1000, 1025, 1026, 1035, 1037,
1038 आदि खसरों में डोटेड रास्ता है । उक्त रास्ता यद्यपि ऑनलाईन रिकॉर्ड में दर्शित नहीं
होता क्योंकि डोटेड रास्ता अभी तक खातेदार के खातों से कटकर अलग खसरे में निर्मित नहीं
हुआ है ।

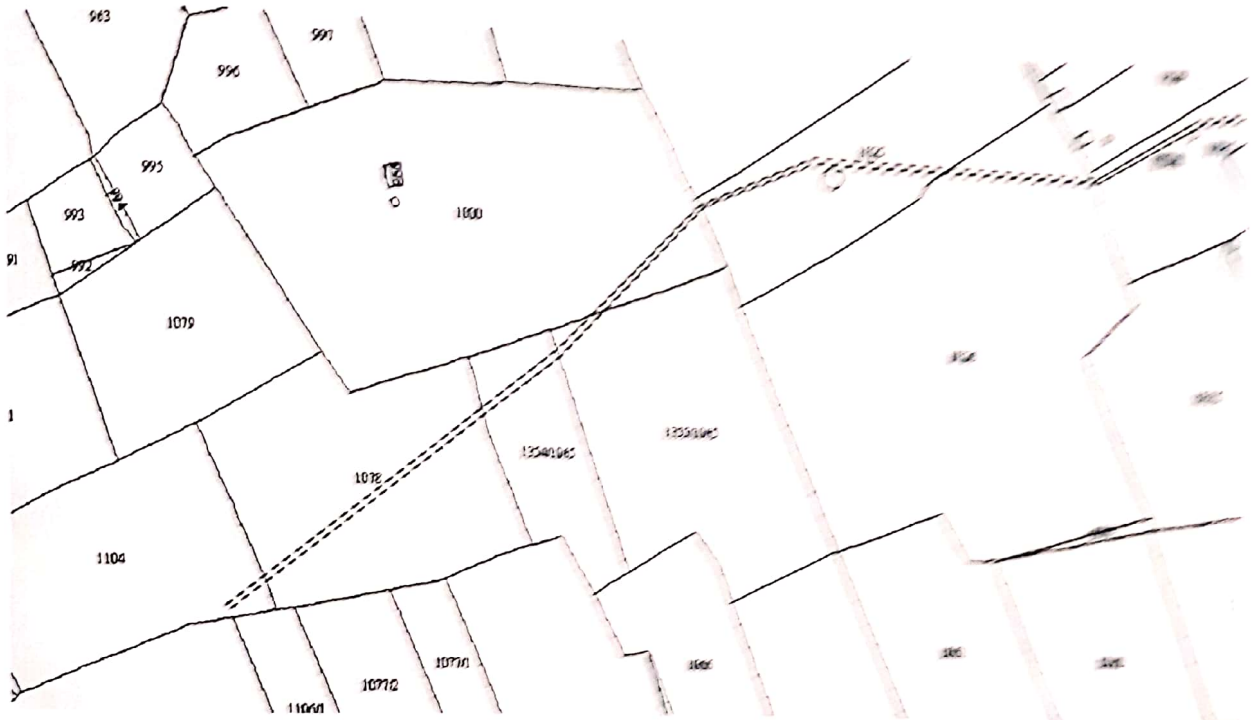

5. यदि किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं हो तो नक्शे अनुसार प्रार्थिया के स्वयं का खेत भू-अवरूद्ध (Land Locked) भूधृति है । अतः प्रथम दृष्टतया प्रार्थिया के पक्ष में केवल उसकी खातेदारी जोत जमाबन्दी रिकॉर्ड अनुसार होने से मामला नहीं बनता है । रिकॉर्ड नक्शे में डॉटेड लाईन से रास्ता दर्शाया जाना स्टेट का भी पक्ष उतना ही मजबूत बनाता है ।

6. सुविधा का संतुलन प्रार्थिया अपने पक्ष में नहीं रख पायी है क्योंकि उसने किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया है कि उसके खातेदारी खसरा सं. 1078 में रिहायश का मकान ढाणी आदि कोई परिसम्पत्ति बना रखी है । यह भी सिद्ध नहीं किया है कि मौके पर फसल खड़ी है (जिसका कि तहसीलदार ने खण्डन किया है) और यदि यह प्रार्थना पत्र में लिखा है कि फसल खड़ी है तो फसल काटने व कटने के बाद मंडी ले जाने के लिये प्रार्थिया किस रास्ते से फसल काटने के लिये खेत में प्रवेश करेगी ?

7. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मरूस्थलीय जिलों में 250 या इससे अधिक तक जनसंख्या वाली सम्पर्कविहीन पात्र बसावटों को बारहमासी डामर सड़कों से जोड़ने का उद्देश्य है जिससे ग्रामीणों को आर्थिक व सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, विपणन, सुविधाएं आदि) तक पहुंच का माध्यम मिलेगा । PMGSY में सड़क निर्माण का परिक्षेत्र राजस्व ग्राम या पंचायत न होकर

उपखण्ड अधिकारी
नोखा

Scanned by CamScanner

ढाणी, टोला, माजरा आदि के रूप में बसावट है । यदि प्रार्थिया के खातेदारी खेत में सड़क का रास्ता बनता है तो प्रार्थिया को कोई अपूर्णीय क्षति होगी यह सिद्ध नहीं होता है अपितु डामर सड़क रास्ता बनने से प्रार्थिया के दो अन्य खसरे 954 व 955 ; जो उत्तर दिशा में अन्य दो खसरों को छोड़कर स्थित है, को भी सड़क से जोड़ने के लिये धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लघुत्तम मार्ग के रास्ते का विकल्प मिलेगा ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । तहसीलदार नोखा, उक्त अनुसार रिकॉर्ड में रास्ते को नये खसरा संख्यांक देने के लिये व संबंधित एजेंसियां सड़क निर्माण हेतु स्वतंत्र है ।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा

Scanned by CamScanner